न्यायालय भू0 अभिलेख अधिकारी एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस
राजस्व विविध प्रकरण सं. Gcms No. 2022/265
दायरा तिथि : 11-07-22
आदेश दिनांक: 11-07-22
प्रार्थी :–

श्री कानसिंह पुत्र मोहब्बतसिंह जाति पुरोहित
निवासी बारवा तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

अप्रार्थी :–

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

–:: आदेश ::– *दिनांक :* 11-07-22

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर धारित की जा रही खातेदारी भूमि ग्राम बारवा तहसील बाली के खसरा नंबर 144, 222, 59, 927, 936, 947, 952 कुल खसरा–07 कुल रकबा 1.39 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल, चाही प्रथम व जाव अव्वल में **दर्ज अपने पिता की वल्दियत कानसिंह पुत्र मोपसिंह को त्रुटिपुर्ण** बताते हुये अपने पिता का **सही व वास्तविक नाम कानसिंह पुत्र मोहब्बतसिंह** दुरस्ती के माध्यम से दर्ज किये जान का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि में आधार कार्ड, पेन कार्ड, राशन कार्ड व मतदाता पहचान पत्र आदि की प्रतियॉ पेश की गई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार, बाली से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, बारवा ने जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत कर प्रार्थी के पिता का **सही व वास्तविक नाम मोहब्बतसिंह होने** से अन्य सरकारी दस्तावेजो में दर्ज सही एवं वास्तविक नाम के अनुसार प्रकरण में वर्णित भूमि ग्राम बारवा तहसील बाली के खसरा नंबर 144, 222, 59, 927, 936, 947, 952 कुल खसरा–07 कुल रकबा 1.39 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल, चाही प्रथम व जाव अव्वल में भी **मोपसिंह की बजाय सही व वास्तविक नाम मोहब्बतसिंह दर्ज किये जाने** की अनुशंषा की गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा धारित दस्तावेजो यथा आधार कार्ड, पेन कार्ड, राशन कार्ड व मतदाता पहचान पत्र में प्रार्थी के पिता का सही व **वास्तविक नाम मोहब्बतसिंह दर्ज है,** जबकि प्रार्थी द्वारा धारित की जा रही भूमि ग्राम बारवा तहसील बाली के खसरा नंबर 144, 222, 59, 927, 936, 947, 952 कुल खसरा–07 कुल रकबा 1.39 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल, चाही प्रथम व जाव अव्वल में कानसिंह पुत्र मोपसिंह नाम दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा धारित की जा कृषि भूमि के अधिकार अभिलेखों में प्रार्थी के पिता का **त्रुटिपुर्ण नाम मोपसिंह** दर्ज होने की पुष्टि होती है। तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, बारवा ने अपनी जांच रिपोर्ट में प्रार्थी के पिता का सही व **वास्तविक नाम मोहब्बतसिंह** होने से धारित कृषि भूमि में भी **कानसिंह पुत्र मोपसिंह** की बजाय सही व वास्तविक नाम **कानसिंह पुत्र मोहब्बतसिंह** दर्ज किये जाने की अनुशंषा की गई है। जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायसंगत है।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी द्वारा धारित की जा रही कृषि भूमि ग्राम बारवा तहसील बाली के खसरा नंबर 144, 222, 59, 927, 936, 947, 952 कुल खसरा–07 कुल रकबा 1.39 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल, चाही प्रथम व जाव अव्वल में दर्ज प्रार्थी के पिता का **त्रुटिपुर्ण नाम मोपसिंह** की बजाय प्रार्थी का **सही व वास्तविक नाम मोहब्बतसिंह जाति राजपुरोहित** दुरस्ती के जरिये दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त आदेश से रेकर्ड में दर्ज **कानसिंह पुत्र मोपसिंह** की जगह **कानसिंह पुत्र मोहब्बतसिंह** रेकर्ड में दर्ज हो जायेगें। रेकर्ड में दर्ज शेष इन्द्राज बदस्तुर कायम रखे जावे। आदेश प्रति तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, बारवा को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी
बाली, जिला - पाली (राज.)

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना)
आई.ए.एस.
भू0 अभिलेख अधिकारी एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

आदेश आज दिनांक 11-07-22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भू0 अभिलेख अधिकारी एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner